अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

मोहन बनाम कोका 36/2010 (2010/00039)

6/2/2020

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । रेस्पो0 द्वारा दिनांक 23.7.2019 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत् अपील अबेट के संदर्भ में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में रेस्पो0 संख्या 4 मुकेशचंद पुत्र किन्नामल का स्वर्गवास दिनांक 7.12.2015 को हो चुका है परन्तु अपीलांटस द्वारा उसके कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है । अपील स्वतः ही अबेट हो जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का न तो जवाब पेश किया गया है एवं न ही रेस्पो0 संख्या 4 मुकेशचंद पुत्र किन्नामल के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है । सीधे ही बहस में कथन किया कि हाजा न्यायालय मृतक के विरूद्ध अपील अबेट हो सकती है किन्तु संपूर्ण अपील अबेट नहीं की जा सकती है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष मोहन पुत्र कोका अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुतोष संख्या 2 में प्रतिवादीगण के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण को निरस्त करने का एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करने के अनुतोष के सहित अन्य अनुतोषों के साथ प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 से 9 रमेश चंद, महेशचंद व मुकेशचंद ने विवादित भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1980 एवं 11.9.2008 को पंजीबद्ध बैनामों से खरीद किया जाना दर्शाया गया है । प्रथमदृष्टया वादी का वादकारण उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रयपत्रों एवं पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर स्वीकृत नामातकरणों को निरस्त करवाकर अपने हकों की घोषणा के संबंध में है तथा वादी के वाद पत्र से स्पष्ट है कि वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त है जो विभाजित नहीं हो सकता है। इस कारण संपूर्ण अपील रेस्पो0 संख्या 4 मुकेशचंद के कायम मुकाम को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने से उपशमित किये जाने योग्य होकर अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 4 मुकेशचंद पुत्र किन्नामल का स्वर्गवास दिनांक 7.12.20158 को हो चुका है एवं अपीलांटस द्वारा बावजूद सूचना मृतक रेस्पो0 संख्या 4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वादी एवं अपील के माध्यम से पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1980 एवं 11.9.2008 को चुनौती दी गई है साथ ही उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर स्वीकृत नामांतकरणों को भी निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है । अपील वाद की निरन्तरता में होती है । वादी के संपूर्ण वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवेचन के कम में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण संयुक्त है जो कि विभाजित नहीं हो सकता है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपीलांटस द्वारा बावजूद सूचना के मृतक रेस्पो0 संख्या 4 मुकेशचंद पुत्र किन्नामल के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से संपूर्ण अपील ही उपशमित किये जाने पायी जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

36/10/2013 मोहन बनाम

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	
	उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट अबैट होने से अबैटमेंट के आधार पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश आज दिनांक 6/2/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 6/2/2020	